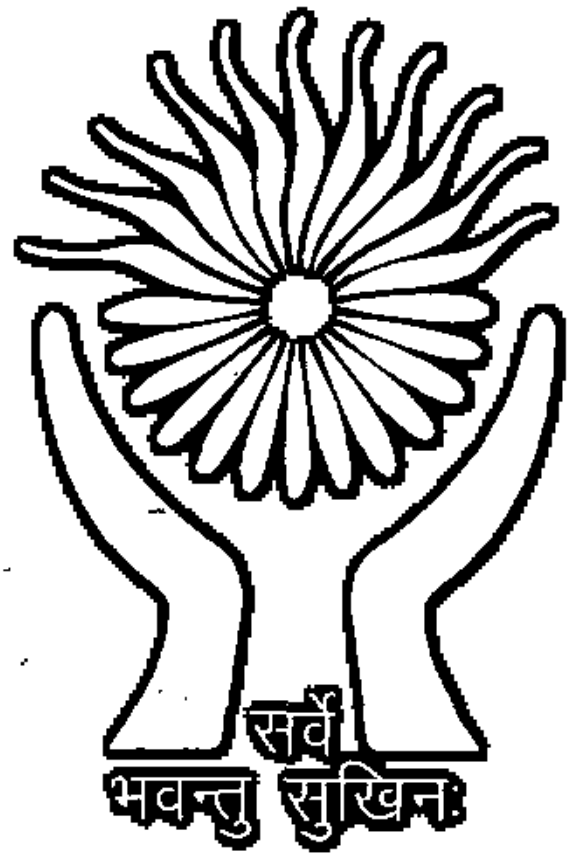

गिरफ्तारी

के सम्बन्ध में
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
के दिशा-निर्देश

गिरफ्तारी के सम्बन्ध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दिशा–निर्देश

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

गिरफ्तारी के सम्बन्ध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के दिशा-निर्देश

दिशा-निर्देशों की आवश्यकता

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगता है, इसलिए इससे स्वतंत्रता के मूल मानवीय अधिकारों का हनन होता है, तथापि भारतीय संविधान ने और अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकारों ने भी कानून और व्यवस्था बनाए रखने की अपनी मुख्य भूमिका के एक भाग के रूप में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए राज्य की शक्ति को मान्यता दी है। किसी को संविधान में, कानून द्वारा स्थापित एक निष्पक्ष और उपयुक्त प्रक्रिया के आधार पर ही उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है।

यद्यपि संविधान की धारा २२ (१) में व्यवस्था है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तारी का कारण सूचित किया जायेगा, उससे अपनी पसंद के वकील द्वारा बचाव के बारे में परामर्श करने के अधिकार से इंकार नहीं

किया जायेगा तथा अपराध प्रक्रिया संहिता, १९७३ (सीपीसी) के खंड ५० में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के लिए यह जरूरी है कि वह गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को तत्काल उस अपराध का ब्यौरा दे। व्यवहार में अधिकांश उल्लंघनों में इन आवश्यकताओं का पालन किया जाता है।

उसी तरह, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तत्काल अदालत के समझ पेश करने की आवश्यकता का भी कड़ाई पूर्वक पालन नहीं किया जाता जो संविधान की धारा (२२(२)) तथा अपराध प्रक्रिया संहिता (खंड ५७) के अन्तर्गत उसका अधिकार है।

मानव अधिकारों के हनन से संबंधित अधिसंख्य शिकायतें विशेषकर गिरफ्तारी और बन्दीकरण के मामलों में होती हैं। पुलिस शक्ति के दुरूपयोग को गालियाँ दी जाती हैं। इसलिए कानून और व्यवहार के बीच अन्तर को पाटने की दृष्टि से यह आवश्यक हो गया है कि गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाएं और साथ ही साथ कानून तथा व्यवस्था को प्रभावशाली ढंग से बनाए रखने और उपयुक्त जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस की शक्तियों में भी बेवजह कटौती न की जाए।

गिरफ्तारी से पहले

* बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति का उपयोग केवल काफी सोच समझ के बाद और कुछ जांच-पड़ताल करने के बाद ही किया जाए, जैसे कि शिकायत की वास्तविकता और सदाशयता तथा यह पक्का विश्वास कि व्यक्ति की अपराध में भागीदारी है और उसे गिरफ्तार करना आवश्यक है [जोगिन्दर कुमार का मामला-(१९९४)४ एस०सी०सी०२६०]।

* कानूनी मामला होने के कारण संज्ञेय मामले में बिना वारंट के गिरफ्तार करने पर गिरफ्तारी को मात्र इस आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता कि उसे किसी संज्ञेय मामले में गिरफ्तार करने की कानूनन शक्ति प्राप्त होती है।

* जोगिन्दर कुमार के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद यह प्रश्न स्पष्टतया विवादास्पद है कि क्या गिरफ्तार करने की शक्ति का उचित रूप से उपयोग किया गया है या नहीं।

* संज्ञान में लिए गए मामलों में गिरफ्तारी को निम्नलिखित परिस्थितियों में औचित्यपूर्ण समझा जाए :

(१) गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों जैसे हत्या, डकैती, लूटमार, बलात्कार आदि और संदिग्ध व्यक्ति के कानूनी प्रक्रिया से फरार हो जाने अथवा साफ बच निकल जाने से रोकने के लिए उसे गिरफ्तार करने की आवश्यकता।

(२) संदिग्ध व्यक्ति हिंसक प्रकृति का हो और उसके द्वारा आगे और अपराध किए जाने की संभावना हो।

(३) संदिग्ध व्यक्ति को साक्ष्य नष्ट करने अथवा गवाहियों में अड़चन डालने अथवा अन्य उन संदिग्ध व्यक्तियों को चेतावनी देने से रोकना हो जिन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(४) संदिग्ध व्यक्ति आपराधिक प्रवृति का हो और जब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता तब तक उसके द्वारा आगे और अपराध करने की संभावना हो (राष्ट्रीय पुलिस आयोग की तीसरी रिपोर्ट)।

* यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने और बिना अनुमति के शहर छोड़ने का नोटिस दे देता है तो उपरिलिखित किस्म के गंभीर मामलों को छोड़कर अन्य किस्म के मामलों में गिरफ्तारी करने से बचा जाना चाहिए [देखें

जोगिन्दर कुमार का मामला (१९९४) एस०सी०सी २६०)]।

* गिरफ्तार करने की शक्ति का उपयोग करने से तब तक बचा जाना चाहिए जब अपराध में जमानत हो सकती हो और जब संदिग्ध व्यक्ति के फरार होने की प्रबल संभावना न हो।

* गिरफ्तार करने अथवा पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारी की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए और उसे अपने नाम और पदनाम वाला बिल्ला लगाना चाहिए। गिरफ्तार करने अथवा पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारियों का विवरण पुलिस थाने में रखे रजिस्टर में निश्चित रूप से दर्ज करना चाहिए।

गिरफ्तारी

* नियमानुसार गिरफ्तारी करते समय बल प्रयोग करने से बचना चाहिए। बहरहाल, गिरफ्तारी का जोरदार विरोध करने के मामले में उसी हद तक बल प्रयोग करना चाहिए, जहां तक ऐसे विरोध पर काबू पाया जा सके। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष चोटें नहीं आनी चाहिए।

* गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति की प्रतिष्ठा का बचाव करना चाहिए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का किसी भी कीमत पर तमाशा नहीं बनाया जाए और उसकी परेड न की जाए।

* गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी उसकी गरिमा का यथोचित सम्मान करते हुए लेनी चाहिए और इसमें बल का प्रयोग अथवा गुस्से का उपयोग नहीं किया जाए और व्यक्ति की प्राइवेसी के अधिकार का ध्यान रखा जाए। महिलाओं की तलाशी अन्य महिलाओं द्वारा ली जाए और उसकी शालीनता का कड़ाई से पालन किया जाए [एस ५१(२) अ.प्र.सं.]

* हथकड़ियों और बेड़ियों का प्रयोग करने से बचा जाए और यदि अन्ततः ऐसा करना पड़े तो इसका उपयोग, प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन [(१९८३) ३ एस.सी.सी ५२६] और सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी बनाम असम राज्य [(१९९५) ३ एस.सी.सी. ७४३], मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में उद्धृत किए गए नियमों के अनुसार किया जाए।

* यदि गिरफ्तार किया जा रहा व्यक्ति महिला हो तो जहां तक संभव हो महिला पुलिस अधिकारियों का सहयोग लिया जाए। रात्रि में महिला की गिरफ्तारी से बचा जाए।

* जहां बच्चों अथवा किशोरों की गिरफ्तारी की जानी हो वहां किसी भी सूरत में कोई भी बल प्रयोग या मार-पीट न की जाए। इस प्रयोजन के लिए पुलिस अधिकारी सम्मानीय नागरिकों की सहायता लें ताकि बच्चों अथवा किशोरों के साथ बर्बरता से बचा जा सके और कम-से-कम बल प्रयोग हो।

* जहां कहीं गिरफ्तारी बिना वारंट के की गई हो वहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तत्काल उस भाषा में, गिरफ्तारी के कारण बताए जाएं, जो भाषा वह समझता है। पुनः इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो तो सम्मानीय व्यक्तियों की सहायता ली जाए। ये कारण पुलिस रिकार्ड में भी लिखित रूप से दर्ज होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ये कारण लिखित में दिखाए जाने चाहिए और मांगने पर इसकी एक प्रति उसे दी जानी चाहिए (एस ५०(१) अ.प्र.सं.)।

* गिरफ्तार किया व्यक्ति अनुरोध करके यह मांग कर सकता है कि उसके किसी मित्र, संबंधी या अन्य जानकार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में सूचना दी जाए जहां उसे रखा गया है। पुलिस उस व्यक्ति का नाम रजिस्टर में दर्ज करें जिसे सूचना दी गई है (एस ५०(१) अ.प्र.सं.)। (जोगिन्दर कुमार का मामला (सु.प्र.)।

* यदि गिरफ्तार व्यक्ति का अपराध ऐसा है जिसमें जमानत हो सकती है तो पुलिस अधिकारी उसे उस जमानत के बारे में बताएंगे जिसके आधार पर वह रिहा हो सकता है, ताकि वह जमानतियों का प्रबंध कर सके (एस ५०(२) अ.प्र.सं.)।

* गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के, उसके उपर्युक्त अधिकार के बारे में बताने के अलावा पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को उसके इस अधिकार के बारे में भी बताना चाहिए कि वह अपनी पसंद के किसी वकील अथवा बचावकर्त्ता से भी परामर्श ले सकता है। उसे यह भी बताना चाहिए कि वह राज्य सरकार के खर्च पर निःशुल्क कानूनी सलाह लेने का भी पात्र है (डी.के. बसु का मामला (१९९७) एस.सी.सी.)।

* जब गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को पुलिस थाने में ले जाया जाए और वह चिकित्सा सहायता का अनुरोध करे तो उसे तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए। जब वह इसके लिए अनुरोध करे, उसे इस अधिकार के बारे में जरूर बताया जाए। जब किसी पुलिस अधिकारी को लगे कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति चिकित्सा सहायता मांगने की हालत में नहीं है परन्तु उसे इसकी जरूरत है तो उसे तत्काल इसका प्रबंध करना चाहिए। इसे भी एक रजिस्टर में अनिवार्य रूप में दर्ज करना चाहिए। महिला द्वारा चिकित्सा सहायता के लिए अनुरोध करने पर उसकी जांच केवल पंजीकृत महिला चिकित्सक द्वारा ही की जाए (एस. ५३ अ.प्र.सं.)।

* गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार करने और गिरफ्तारी के स्थान के बारे में सूचना अविलंब पुलिस नियंत्रण कक्ष तथा जिला/राज्य मुख्यालय को भेजनी चाहिए। इस पर चौबीसों घंटे निगरानी रखने के लिए एक तंत्र अवश्य होना चाहिए।

* जैसे ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है वैसे ही गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी

रजिस्टर में यह अवश्य दर्ज करना चाहिए कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के शरीर पर कोई चोट (चोटें) है अथवा नहीं। यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के शरीर पर कोई चोट पाई जाए तो चोट का ब्यौरा और चोट आने की वजह जैसे अन्य विवरण रजिस्टर में दर्ज किए जाएं, जिस पर पुलिस अधिकारी और गिरफ्तार किया गया व्यक्ति हस्ताक्षर करें। गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को रिहा करते समय पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर से उक्त आशय का एक प्रमाण पत्र, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दिया जाए।

* यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अदालत के आदेश से रिमांड पर पुलिस हिरासत में रखा जाए तो हिरासत के दौरान हर ४८ (अड़तालीस) घंटे के बाद संबंधित राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र के निदेशक, स्वास्थ्य सेवा द्वारा नियुक्त किए गए प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसकी डॉक्टरी जांच की जानी चाहिए। पुलिस हिरासत से रिहा करते समय, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की डॉक्टरी जांच की जाए और उसे एक प्रमाण पत्र दिया जाए जिसमें उसके शरीर पर कोई चोट होने या न होने के बारे में वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए।

गिरफ्तारी के बाद

* गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, गिरफ्तारी के २४ घंटे के अन्दर-अन्दर समुचित अदालत के समक्ष पेश करना चाहिए (एस. ५६ और ५७ अ.प्र.सं.)।

* गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, पूछताछ के दौरान किसी भी समय अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जाए।

* पूछताछ, स्पष्ट रूप से पहचाने जाने वाले ऐसे स्थान पर करनी चाहिए जिसे सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया गया हो। उस स्थान पर आसानी से पहुँचा जा सकता हो और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मित्रों अथवा संबंधियों को पूछताछ के स्थान के बारे में अवश्य बताया जाना चाहिए।

  जांच के तरीके जीवन, प्रतिष्ठा तथा स्वतंत्रता और उत्पीड़न व अपमानजनक व्यवहार के विरूद्ध मान्य अधिकारों के अनुकूल होने चाहिए।

दिशा-निर्देशों को लागू करना

१. दिशा-निर्देशों का यथा संभव अधिकाधिक भाषाओं में अनुवाद किया जाए और इन्हें प्रत्येक पुलिस थाने में वितरित किया

जाए। इन्हें एक डायरी में शामिल किया जाए और प्रत्येक सिपाही को दिया जाए।

२. दिशा-निर्देशों का प्रेस और संचार माध्यमों में अधिक-से-अधिक प्रचार किया जाए। इन्हें प्रत्येक पुलिस स्टेशन के सूचना-पट्टों पर एक से अधिक भाषाओं में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।

३. पुलिस एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करे, जो इन दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की शिकायतों की तत्काल जांच पड़ताल करे और इस सम्बन्ध में निवारक कार्यवाही करे।

४. जिन सूचना पट्टों पर दिशा-निर्देश प्रदर्शित किए जाएं उन्हीं सूचना पट्टों पर शिकायत निवारण तंत्र का स्थान तथा वहां कैसे पहुचां जाए, इस बारे में भी संकेत होने चाहिए।

५. व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए इन दिशा-निर्देशों के प्रचार में अदालतों, अस्पतालों, विश्वविद्यालयों आदि सहित गैर सरकारी संगठनों और जन संस्थाओं को शामिल किया जाए।

६. शिकायत निवारण तंत्र का कामकाज पारदर्शी हो और इस तक आसानी से पहुंचा जा सकता हो।

७. इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल जरूरी कार्यवाही की जाए। इसे केवल विभागीय जांच-पड़ताल तक सीमित न किया जाए, बल्कि इसे आपराधिक न्याय तंत्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

८. इन दिशा-निर्देशों के कारगर ढंग से कार्यान्वयन के लिए यह जरूरी है कि पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जाए तथा उनको प्रशिक्षित किया जाए।

* * *